केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

सं.:सीबीएसई /सी टी ई टी/2021दिनांक :21.06.2021

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के पत्र संख्या एनसीटीई- पंजी.1011/78/2020-यूएस (विनियमन)-मुख्यालय/99954-99992 दिनांक 09.06.2021 के माध्यम से सूचित किया है कि इस पत्र संख्या 76-4/2010/एनसीटीई/शैक्षणिक दिनांक 1002/2011 के पैरा 11 के दूसरे वाक्य जिसमे यह है कि "नियुक्ति के लिए टीईटी अर्हक प्रमाण पत्र की वैधता अवधि उपयुक्त सरकार द्वारा सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम सात वर्षों के अधीन तय की जाएगी।" के स्थान पर "नियुक्ति के लिए टीईटी अर्हक प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, जब तक कि उपयुक्त सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता है, आजीवन वैध रहेगा" किया जायेगा।

तदनुसार निर्देश क्रमांक सं. 1 सीटीईटी अंक विवरण और सीटीईटी पात्रता प्रमाण पत्र पर मुद्रित है जिसमे यह है कि "सभी श्रेणियों के लिए नियुक्ति के लिए सीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अंक विवरण जारी करने की तारीख से सात वर्ष होगी या सभी श्रेणियों के लिए सीटीईटी अर्हकप्रमाण पत्र की वैधता अवधि इसके जारी होने की तारीख से सात वर्ष होगी" के स्थान पर "नियुक्ति के लिए टीईटी अर्हकप्रमाण पत्र की वैधता अवधि, जब तक कि उपयुक्त सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता है, आजीवन वैध रहेगा" किया जाता है।

अत:सीबीएसई सीटीईटी की पिछली परीक्षाओं से संबंधित कोई परिशोधित अंक विवरण और सीटीईटी पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा।

हस्ता/-
निदेशक (सीटीईटी)

केन्द्रीय अध्यापक पात्रतापरीक्षा एकक, पी0 एस0 1–2 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, आई0 पी0 एक्स0 पटपड़गंज, दिल्ली–110092
CTET Unit, PS, 1-2 Institutional Area, I.P. Extension. Patparganj, Delhi-110092
फोन / Telephone:+91-11-22235774, 22247154, 22247176 वेबसाइट Website: www.ctet.nic.in